न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील

अपील संख्या :– 10/2012 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राजपति पत्नि सुभाष जाति जाट निवासी शहजादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:———— अपीलांटा

बनाम

1 ईश्वरसिंह पुत्र छाजू
2 सुबेसिंह पुत्र छाजू
3 अशोक पुत्र छाजू
4 कमलेश पुत्री हरलाल
5 छोटिया पुत्री हरलाल
6 बस्तोबाई पुत्री हरलाल, जातियान जाट निवासीयान जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:———— असल रेस्पो0

7 श्योबाई बेवाह चन्दर
8 कमला पुत्री चन्दर
9 खामोश पुत्री चन्दर
10 रामफल पुत्र चन्दर
11 सत्यवीर पुत्र चन्दर, जातियान जाट निवासीयान जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
12 कप्तान पुत्र चन्दर जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

13 उप पंजीयक, गुण्डावर जिला अलवर

:---- तरतीवी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखंड अधिकारी,गुण्डावर दिनांक 24.10.2011

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री निर्मल कुमार जैन

2. वकील रेस्पो0अराल :- सुश्री सुषमा शर्मा

दूसरी अपील

अपील सख्या :- 11/2012 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट

उनवान :- 1. श्योबाई वेवाह चन्दर जाति जाट

2 कमला पुत्री चन्दर जाति जाट

3 खामोश पुत्री चन्दर जाति जाट

4 रामफल पुत्र चन्दर जाति जाट

5 सत्यवीर पुत्र चन्दर जाति जाट

6 कप्तान पुत्र चन्दर जाति जाट

:-----प्रतिवादीगण अपीलांट

बनाम

1 ईश्वरसिंह पुत्र छाजू

2 सुबेसिंह पुत्र छाजू

3 अशोक पुत्र छाजू जाति जाटान

4 कमलेश पुत्री हरलाल जाति जाट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5 छोटिया पुत्री हरलाल जाति जाट

6 वरतोबाई पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

7 उप पंजीयक, मुण्डावर

:------ असल रेस्पो0

8 राजपति पत्नि सुभाष जाति जाट निवासी शहजादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:------ तरतीवी रेस्पे0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 24.10.2011

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री निर्मल कुमार जैन

2. वकील असल रेस्पो0 :— सुश्री सुषमा शर्मा

निर्णय

दिनांक 18.8.2021

1 उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादित भूमि तथा तथ्य एक समान है तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत की गई है । इसलिये इन अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

2 उपरोक्त दोनों अपीलें तहत अदालत द्वारा राजस्व वाद संख्या 287/2001 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2011 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

3 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ईश्वरसिंह वगैरा ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 10 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जसाई तहसील मुण्डावर वादीगण संख्या 1, 2 व 3 पिता छाजिया तथा वादी नम्बर 4 हरलाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । बंदोबस्त विभाग ने उक्त साबिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

खसरा नम्बर 10 के हाल नम्बर 12 रकबा 01 बीघा 8 बिस्वा व 13 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा बनाये गये हैं । खसरा नम्बर 12 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा पर तो रेकार्ड व मौका अनुसार वादीगण का नाम बतौर खातेदार सही तौर पर दर्ज कर दिया, परन्तु खसरा नम्बर 13 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा पर खिलाफ रेकार्ड, मौका व कानून प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व एवं लागू होने के दिन वादीगण के पूर्वजों का तथा उनके बाद वादीगण का कब्जा काश्त रहा है । इसलिये वादीगण को बाई ऑफरेशन ऑफ लॉ खातेदार दर्ज करना चाहिये था, परन्तु बंदोबस्त विभाग ने प्रतिवादी नम्बर 01 से साजबाज होकर उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दी । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे। तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र निर्णय दिनांक 24.10.2011 द्वारा डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी नम्बर 03 राजपति ने अपील संख्या 10/2012 तथा प्रतिवादी नम्बर 01 चन्दर के वारिसान प्रतिवादीगण श्योबाई वगैरा ने अपील संख्या 11/2012 प्रस्तुत की है ।

4 बहस में विद्वान वकील अपीलांटस ने अभिकथन किया है कि विवादित भूमि से वादीगण रेस्पो0 को कोई लेना देना नहीं है । उक्त आराजी बंदोबस्त से पूर्व से ही अपीलांटस के पिता चन्दर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है । चन्दर से पूर्व उनके पिता बुद्धा का कब्जा काश्त उक्त आराजी पर रहा था। आराजी साबिक खसरा नम्बर 10 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा पर सम्वत 2011 से 2023 तक के रेकार्ड में हमारे पिता चन्दर के नाम का अंकन हो रहा है । इससे पूर्व हमारे दादा बुद्धा की खातेदारी दर्ज थी । इस प्रकार सिद्ध है कि बंदोबस्त से पूर्व से ही हमारे पूर्वजों एवं उनके बाद हमारा कब्जा काश्त रहा है । जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 (सम्वत 2016) लागू होने के समय भी हमारे पिता चन्दर का कब्जा काश्त रहा है । इसलिये कानूनन हमको खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं । जिस कारण हमको आराजी खसरा नम्बर साबिक 10 से बने हाल नम्बर 13 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा पर विधिक रूप से खातेदार दर्ज किया गया है, परन्तु इस साबिक खसरा नम्बर 10 से बने हाल नम्बर 12 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा पर वादीगण रेस्पो0 को गलत तौर पर खातेदार दर्ज कर दिया गया । जबकि साबिक खसरा नम्बर 10 से बने सम्पूर्ण हाल नम्बर 12 एवं 13 पर हमको कानूनन खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं । यह कि हम रेकार्डेड खातेदार हैं और हमने आराजी खसरा नम्बर 13 में से 16 एयर भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

प्रतिवादी नम्बर 03 अपीलांट राजपति को बेच दी । यह बयनामा विधिक रूप से निष्पादित किया गया है । अपीलांट राजपति सद्‌भावी क्रेता है । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया और गलत तौर पर बयनामा को प्रभाव शून्य करार दे दिया । तहत अदालत ने तनकियों का विवेचन राजस्व अभिलेखों एवं कानून के प्रावधानों के विपरीत किया है । अतः निवेदन है कि हर दोनों अपीलें स्वीकार की जावें ।

5 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 10 रकवा 2 वीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जसाई तहसील मुण्डावर पर साविक रेकार्ड में हमारे पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है । वे बतौर खातेदार दर्ज थे । उनके बाद हम बतौर खातेदार काबिज हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन अर्थात सम्वत 2012 में भी हमारे पूर्वज का कब्जा काश्त रहा है । इसलिये हमको बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं। जिस कारण से बंदोबस्त विभाग ने विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 10 से बने हाल नम्बर 12 पर तो हमको सही तौर पर खातेदार दर्ज कर दिया, परन्तु इस साबिक खसरा नम्बर 10 से बने हाल नम्बर 13 पर गलत तौर पर प्रतिवादी नम्बर 01 चन्दर के नाम खातेदारी दर्ज कर दी । बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । रेकार्ड, मौका व कानून के अनुसार हमको उक्त हाल खसरा नम्बर 13 पर खातेदार दर्ज करना चाहिये था । दौराने विचारण वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 13 में से 16 एयर भूमि का बेचान प्रतिवादी नम्बर 03 अपीलांट राजपति को कर दिया गया । उक्त बेचान कानूनसम्मत नहीं था। इसलिये तहत अदालत ने सही तौर पर बयनामा को प्रभाव शून्य करार दिया है । तहत अदालत का अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का भी अवलोकन किया । तहत अदालत द्वारा पारित किये गये निर्णय की तनकीवार समीक्षा निम्न प्रकार है:-

तनकी नम्बर :- 01

आया वाद में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 10 के बने हाल नम्बर 12 व 13 बंदोबस्त विभाग ने कायम किये हैं, जो आराजी वादीगण व वादीगण के बुजुर्गों की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है और बुजुर्गों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

के समय से ही वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं और मौके पर वादीगण का कब्जा है ।

इस तनकी में तहत अदालत ने जो विवेचना की है, उसकी समीक्षा हेतु हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 प्रदर्श–3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 10 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा से हाल नम्बर 12 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा बनना पाये जाते हैं । जमाबन्दी सम्वत 2011 प्रदर्श–2 के भूमि अधिकारी के कॉलम में साबिक खसरा नम्बर 10 पर बुद्धा इत्यादि का अंकन है तथा कृषक के कॉलम में छाजया, हरलाल, मूलिया पिसरान गंगासहाय का अंकन है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–15 में भी इसी प्रकार की प्रविष्टि की हुई है । इन दस्तावेजों के अवलोकन से सिद्ध है कि साबिक खसरा नम्बर 10 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व सम्वत 2011 में वादीगण के पिता छाज्या व स्वयं वादी नम्बर 4 हरलाल काबिज काश्तकार रहे हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन भी सम्वत 2012 (वर्ष 1955) में भी उनका कब्जा काश्त रहा है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराओं 13, 15 व 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त दिये जाते हैं । यहां धारा 15 लागू होती है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि अधिनियम लागू होने के समय अर्थात सम्वत 2012 में जो अभिधारी कृषक के रूप में अभिलिखित है, उसे बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार हासिल हो जाते हैं । हस्तगत प्रकरण में आराजी साबिक खसरा नम्बर 10 से बने हाल नम्बरान 12 व 13 पर वादीगण रेस्पो0 को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं, परन्तु वादीगण रेस्पो0 को आराजी हाल खसरा नम्बर 12 पर तो खातेदार दर्ज कर दिया, परन्तु आराजी हाल खसरा नम्बर 13 पर वादीगण रेस्पो0 को खातेदार दर्ज न करके अपीलांटस के पिता प्रतिवादी नम्बर 01 चन्दर को खातेदार दर्ज कर दिया गया, जो एक विधिक त्रुटि है । जिसे वादीगण रेस्पो0 दुरूस्त करार अपने आपको खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है । उपरोक्त समीक्षा उपरान्त हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि तनकी में तहत अदालत ने जो विवेचना की है, वह विधिसम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा इस तनकी में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जाता है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तनकी नम्बर :— 02

आया वाद में विवादित आराजी खसरा नम्बर 12 पर वादीगण को राजस्व रेकार्ड व मौका के हिसाब से सही दर्ज किया है, लेकिन खसरा नम्बर 13 पर बन्दोबस्त विभाग द्वारा बिना वादीगण की सुनवाई किये मौका व कानून के खिलाफ प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया, जिसको हजफ कराकर वादीगण स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं ।

जैसा कि तनकी नम्बर 01 की समीक्षा में हमने रेकार्ड का अवलोकन कर यह सिद्ध किया है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 10 पर वादीगण नम्बर 01 ला0 03 के पिता छाज्या तथा स्वयं वादी नम्बर 04 हरलाल का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व सम्वत 2011 में रहा है तथा उक्त अधिनियम लागू होने के समय अर्थात सम्वत 2012 में भी उनका कब्जा काश्त रहा है । इसलिये अधिनियम की धारा 15 के तहत वादीगण को खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है । इसलिये साबिक खसरा नम्बर 10 से बने सम्पूर्ण हाल नम्बरों अर्थात हाल खसरा नम्बर 12 व 13 पर वादीगण को खातेदार दर्ज करना चाहिये था, परन्तु हाल खसरा नम्बर 12 तो वादीगण को खातेदार दर्ज कर दिया गया, परन्तु हाल खसरा नम्बर 13 पर प्रतिवादी नम्बर 01 मृतक चन्दर को खातेदार दर्ज कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है । वादीगण इसे दुरूस्त कराकर अपने आपको खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है । अतः इस तनकी के सम्बन्ध में तहत अदालत ने जो विवेचना की है, वह उपरोक्त समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत है । लिहाजा इस तनकी में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जाता है ।

तनकी नम्बर :— 03

आया वाद में विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, ना ही कभी कब्जा रहा । रिकार्ड में गलत अंकन का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं । इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को हुकमइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं ।

जैसा कि तनकी नम्बर 01 व 02 की समीक्षा में यह सिद्ध हो चुका है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 13 पर वादीगण काबिज काश्तकार हैं और उनको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

अधिकार हासिल हो चुके हैं । इसलिये वादीगण रेस्पो० प्रतिवादीगण अपीलांट के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । तहत अदालत ने इस तनकी में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत जो निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत है । लिहाजा इस तनकी का निर्णय यथावत रखा जाता है ।

तनकी नम्बर :– 04

आया वाद में विवादित आराजी से वादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, ना कब्जा रहा । रिकार्ड में प्रतिवादी का सही अंकन है, जिसको दुरूस्त कराने का अधिकार वादीगण को नहीं है और ना ही हुकमइम्तनाई दवामी प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

इस तनकी की समीक्षा के लिये हमने अपीलांट की दलीलों पर गौर किया । अपीलांट की मुख्य दलील यही है कि बंदोवस्त से पूर्व से ही प्रतिवादी मृतक चन्दर विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 10 पर काविज काश्तकार रहा है । चन्दर से पूर्व उनके पिता बुद्धा काबिज रहे थे । सम्वत 2015 से 2023 तक चन्दर के नाम का अंकन हो रहा है । विवादित भूमि जमींदारी बिस्वेदारी की थी । जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 अर्थात सम्वत 2016 में लागू हुआ था, उस समय चन्दर काबिज काश्तकार था । जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति उक्त अधिनियम लागू होने के समय भूमि पर काविज था, उसको कानूनन खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं । इसी कारण विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 10 से बने हाल नम्बर 13 पर तो प्रतिवादीगण के पूर्वज चन्दर का नाम खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया, जो सही है, परन्तु हाल खसरा नम्बर 12 पर वादीगण को गलत तौर पर खातेदार दर्ज कर दिया । अपीलांट की ये दलीलें कतई तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि प्रथम तो अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि को जमींदारी बिस्वेदारी की होना साबित नहीं कर पाये हैं । द्वितीय, जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने से पूर्व ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सम्वत 2012 में ही लागू हो गया था और इस अधिनियम की धारा 15 के तहत वादीगण नम्बर 1, 2, 3 के पिता छाजिया व वादी नम्बर 4 हरलाल को सम्वत 2012 में ही खातेदारी हकूक हासिल हो चुके थे, परन्तु वादीगण को खातेदार दर्ज नहीं किया गया और विधि विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 01 मृतक चन्दर की खातेदारी में विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 13 दर्ज कर दी गई । जब साबिक खसरा नम्बर 10 से बने हाल नम्बर 12 पर वादीगण को

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

,खातेदार दर्ज दिया गया था तो फिर इस साबिक खसरा नम्बर 10 से बने विवादित हाल खसरा नम्बर 13 पर वादीगण को खातेदार क्यों दर्ज नहीं किया गया । इस प्रकार सिद्ध है कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 13 से प्रतिवादीगण अपीलांटस का कोई सरोकार नहीं है। इनके नाम राजस्व रेकार्ड में जो अंकन हुआ है, वो विधि विरूद्ध हुआ है। यह तनकी तहत अदालत द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांटस के विरूद्ध तय की गई है, जिसमें हम उपरोक्त समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा इस तनकी का निर्णय विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है ।

तनकी नम्बर :– 05

आया बयनामा दिनांक 21.12.2004 बहक प्रतिवादी संख्या 3 विधि अनुसार सही है तथा इस न्यायालय को उक्त बयनामा को अवैध करार देने का अधिकार नहीं है ।

इस तनकी के विवेचन की समीक्षा हेतु हमने तहत अदालत में पेश वाद पत्र, विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2004, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों का अध्ययन किया । वर्ष 2001 में वाद पत्र प्रस्तुत हुआ और वर्ष 2004 में अर्थात दौराने विचारण वाद प्रतिवादी नम्बर 03 अपीलांट राजपति को प्रतिवादी नम्बर 01 मृतक चन्दर द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 13 में से 16 एयर भूमि का बेचान कर दिया गया । सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 में प्रतिपादित किया गया है कि दौराने विचारण किया गया हस्तांतरण अवैध है । इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 03 अपीलांट राजपति के पक्ष में कराया गया बयनामा उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत नहीं है । अब प्रश्न यह है कि क्या राजस्व न्यायालय बयनामा की वैधता का बिन्दू तय कर सकता है अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । इसमें प्रावधान किया गया है कि वाद पत्र में अगर मुख्य अनुतोष खातेदारी की घोषणा अथवा इन्द्राज दुरूस्ती का है तथा बयनामा को प्रभाव शून्य अथवा बातिल व बेअसर कराने दिलाने का अनुतोष आनुशांगिक अनुतोष के रूप में है तो राजस्व न्यायालय को बयनामा को प्रभाव शून्य अथवा बातिल व बेअसर करार देने का अधिकार है । हस्तगत प्रकरण में तहत अदालत ने बयनामा को प्रभाव शून्य करार दिया है, जो धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिपादित

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत है । लिहाजा इस तनकी का निर्णय यथावत रखा जाता है ।

7 पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अवलोकन करनें एवं तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की तनकीवार समीक्षा करने के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। लिहाजा हर दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि हर दोनों अपीलें खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2011 यथावत रखे जाते हैं ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील

अपील संख्या :– 10/2012 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राजपति पत्नि सुभाष जाति जाट निवासी शहजादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:––––––अपीलांटा

बनाम

1 ईश्वरसिंह पुत्र छाजू
2 सुबेसिंह पुत्र छाजू
3 अशोक पुत्र छाजू
4 कमलेश पुत्री हरलाल
5 छोटिया पुत्री हरलाल
6 बस्तोबाई पुत्री हरलाल, जातियान जाट निवासीयान जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:–––––– असल रेस्पो0

7 श्योबाई बेवाह चन्दर
8 कमला पुत्री चन्दर
9 खामोश पुत्री चन्दर
10 रामफल पुत्र चन्दर
11 सत्यवीर पुत्र चन्दर, जातियान जाट निवासीयान जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
12 कप्तान पुत्र चन्दर ज़ाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

13 उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर

:———— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखंड अधिकारी,मुण्डावर
दिनांक 24.10.2011

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री निर्मल कुमार जैन

2. वकील रेस्पो0असल :— सुश्री सुषमा शर्मा

दूसरी अपील

अपील सख्या :— 11/2012 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट

उनवान :— 1. श्योबाई बेवाह चन्दर जाति जाट

2 कमला पुत्री चन्दर जाति जाट

3 खामोश पुत्री चन्दर जाति जाट

4 रामफल पुत्र चन्दर जाति जाट

5 सत्यवीर पुत्र चन्दर जाति जाट

6 कप्तान पुत्र चन्दर जाति जाट

:———— प्रतिवादीगण अपीलांट

बनाम

1 ईश्वरसिंह पुत्र छाजू
2 सुबेसिंह पुत्र छाजू
3 अशोक पुत्र छाजू जाति जाटान
4 कमलेश पुत्री हरलाल जाति जाट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5 छोटिया पुत्री हरलाल जाति जाट
6 बस्तोबाई पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
7 उप पंजीयक, मुण्डावर

:——— असल रेस्पो0

8 राजपति पत्नि सुभाष जाति जाट निवासी शहजादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:——— तरतीबी रेस्पे0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 24.10.2011

उपस्थित :–	1.	वकील अपीलांट	:–	श्री निर्मल कुमार जैन
	2.	वकील असल रेस्पो0	:–	सुश्री सुषमा शर्मा

दिनांक 18.8.2021

पर्चा डिक्री

हर दोनों अपीलें खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.10.2011 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर